RUPEES 25000 रुपये

RUPEES 25000 रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH J23219

ATTESTED

S. K. GOEL

विक्रय–पत्र अंकनः 4,92,600 / –रूपये।

मालियत बाजारी अंकनः 9,60,000 / –रूपये।

स्टाम्प शुल्क अंकनः 96,000 / –रूपये।

विक्रय–पत्र ओर से **श्रीमती सुखबीरी पत्नी स्व0 श्री हुकम सिंह निवासी ग्राम शेरगढ़ी जिला मेरठ व श्री मदन पाल व श्री रिन्कू पुत्रगण स्व0 श्री हुकम सिंह निवासीगण ग्राम शेरगढी परगना व तहसील व जिला मेरठ** ———————: प्रथम पक्ष (विक्रेता)।।

व

श्री गोपाल माहेश्वरी पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण निवासी 1, चाणक्यपुरी, मेरठ शहर :——————————————————: द्वितीय पक्ष (सहमति पक्षकार)।।

व

क्र०सं० 146 दि० 17.5.06 मूल्य 25000 का स्टाम्प
श्री ... को वास्ते ... विक्रय किया गया।

रोकड़िया
कोषागार, मेरठ

बैनामा = कि० कं० 492600/— 225000/—
+267600/—
मा० — 9,60,000/—

रजि. शुल्क 5000/ प्रतिलिपि शुल्क 20/ योग 5020/

श्री-श्रीमति मुखवीरी ...
निवासी ...
ने यह लेखपत्र कार्यालय उपनिबन्धक ... में
दिनांक 23/5/06 को ... बजे के मध्य
निबन्धन हेतु प्रस्तुत किया।

नि०अ० मुखवीरी

उप निबन्धक प्रथम, मेरठ
23/5/06

लेख पत्र के निष्पादन को सुन व समझकर उपरोक्त
श्रीमति मुखवीरी ... मदनपाल ...
... 492600/— ...
लेखानुसार धाना ...
श्री ...
निवासी ...
व श्री ...
निवासी ... ने की।

नि०अ०
मुखवीरी

उ० नि० प्रथम, मेरठ
23/5/06

मदनपाल

S Sharma

RUPEES 25000 रुपये

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 123218

:: 2 ::

सियाराम कस्तूरी देवी एजूकेशनल सोसायटी, 182 शंकर मार्केट, आबूलेन, मेरठ कैण्ट द्वारा सचिव **श्री सुधीर शर्मा** पुत्र श्री गजेन्द्र शर्मा निवासी 182 शंकर मार्केट, आबूलेन, मेरठ कैण्ट :———————————————————: तृतीय पक्ष (क्रेता) ।।

जोकि 794 वर्ग गज भूमि (सात सौ चौरानवे वर्ग गज भूमि) अथवा 663.87 वर्ग मीटर भूमि (छः सौ छियासठ दशमलव आठ सात वर्ग मीटर भूमि) मिनजुमले नम्बर खसरा 6316 सालिम रकबई 2 बीघे 2 बिस्वे पुख्ता (जो प्रथम पक्ष का कुल हक व हिस्सा है) स्थित कस्बा मेरठ निकट रामापुरम कालोनी / सूर्योदय विहार, मेरठ शहर के प्रथम पक्ष व्यक्तिगत स्वामी एवं वास्तविक अधिकारी है। श्रीमती सुखबीरी पत्नी स्व0 श्री हुकम सिंह प्रथम पक्ष ने उपरोक्त भूमि को विक्रय करने का सौदा द्वितीय पक्ष से द्वारा इकरारनामा माहिदा बय दिनांक 25.11.91 ई0 रजिस्ट्रीशुदा कि जिसकी रजिस्ट्री बही

RUPEES 25000 रुपये

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

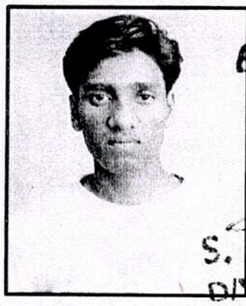

ATTESTED

S. K. ...
DIW MEERUT

OFFICE OF THE CHIEF TREASURY OFFICER MEERUT
17 MAY 2006

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 123217

नम्बर 1 खण्ड 447 के सुफे 375 / 382 में नम्बर 10572 कार्यालय उप–निबन्धक, मेरठ हुई, तय कर रखा है । उपरोक्त भूमि परगनाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 22.01.1991 के द्वारा जो अन्तर्गत धारा 143 यू0पी0 जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत पारित हुआ है तथा उसकी पुष्टि माननीय राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद ने सन्दर्भ संख्या 7 / 92–93 चेतू आदि बनाम उत्तर प्रदेश सरकार आदि में पारित आदेश दिनांक 14.10.1992 को कर दी, आबादी घोषित कर दी। उपरोक्त भूमि आज की तिथि तक प्रत्येक प्रकार के ऋण एवं भार आदि से उऋण तथा वैधानिक त्रुटियों एवं दोषों आदि से मुक्त एवं रहित है तथा उपरोक्त भूमि को किसी वित्तीय संस्था एवं बैंक आदि में बन्धक अथवा भारग्रस्त नहीं किया हुआ है अर्थात उपरोक्त भूमि आज की तिथि तक हर तरह से पाक व साफ है। उपरोक्त इकरारनामा माहिदा बय के अनुसार द्वितीय पक्ष को यह अधिकार प्राप्त है कि वह उपरोक्त भूमि का विक्रय प्रथम

भारतीय गैर न्यायिक

10000 रु. Rs.10000

10000 रु. Rs.10000

10000 रु. Rs.10000 दस हज़ार रुपये

10000 रु. Rs.10000 RUPEES TEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

10000 रु. Rs.10000

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

OFFICE OF THE CHIEF TREASURY OFFICER 17 MAY 2006

05AA 726909

:: 4 ::

पक्ष से अपने अथवा अपने मनोनीत व्यक्ति के पक्ष में निष्पादित करा रजिस्ट्री करा लें, उन्हीं अधिकारों की बिनाह पर द्वितीय पक्ष ने तृतीय पक्ष क्रेता के पक्ष में विक्रय–पत्र निष्पादित कराने की इच्छा प्रथम पक्ष से व्यक्त की है जिसमें प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नहीं है तथा इस विक्रय–पत्र का मूल्य में से अंकनः 2,25,000/–रूपये प्रथम पक्ष प्राप्त कर रहें है तथा शेष अंकनः 2,67,600/–रूपये द्वितीय पक्ष तृतीय पक्ष क्रेता से प्राप्त कर रहें है, इसलिए द्वितीय पक्ष को सहमति पक्षकार बनाया गया है। अतः उपरोक्त वर्णित भूमि को उससे सम्बन्धित समस्त अधिकार स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि सहित, बिना छोड़े हुये किसी स्वामित्व एवं अधिकार के, चाहे उसका वर्णन इस विक्रय विलेख में किया गया हो अथवा न किया गया हो, स्वस्थ मस्तिष्क एवं निर्मल इन्द्रियों की दशा में अंकन : 4,92,600/–रूपये (चार लाख बानवे हजार छः सौ रूपये) विक्रय मूल्य के उपलक्ष्य में हस्ते **सियाराम कस्तूरी देवी एजूकेशनल सोसायटी, 182 शंकर**

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५000रु. Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

305263

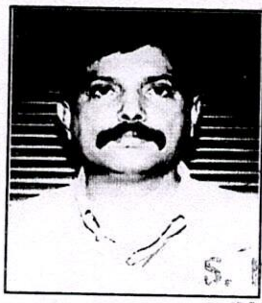

S. K. GOEL

S/V MEERUT

:: 5 ::

मार्केट, आबूलेन, मेरठ कैण्ट द्वारा सचिव श्री सुधीर शर्मा पुत्र श्री गजेन्द्र शर्मा निवासी 182 शंकर मार्केट, आबूलेन, मेरठ कैण्ट तृतीय पक्ष क्रेता को विक्रय कर दिया और बेच ड़ाला और समस्त विक्रय मूल्य प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष ने तृतीय पक्ष क्रेता से निम्न प्रकार प्राप्त करके विक्रीत भूमि को अपने अधिकार तथा प्रथम पक्ष के स्वामित्व आदि से निकालकर तृतीय पक्ष क्रेता के अधिकार, स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि में देकर उनको व्यक्तिगत स्वामी एवं वास्तविक अधिकारी बना दिया। अब विक्रेता का कोई स्वामित्व या अधिकार विक्रीत भूमि से सम्बन्धित भविष्य के लिये शेष नहीं रहा और न होगा। वास्तविक परिवर्तन कार्यान्वित हुआ। यह विक्रय पूर्णतया उचित एवं वैधानिक है तथा प्रयोग होने योग्य है। कब्जा विक्रीत भूमि का कतई खाली का स्थल पर तृतीय पक्ष क्रेता को प्रदान कर दिया है तथा तृतीय पक्ष क्रेता ने उपरोक्त भूमि का वास्तविक एवं भौतिक अधिपत्य स्थल पर प्राप्त कर लिया है। उपरोक्त भूमि में लगभग 5 फिट गहरे

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५000रु.   Rs5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हज़ार रूपये   FIVE THOUSAND RUPEES

305262

:: 6 ::

गढढे है, जिसको कुछ भराव द्वितीय पक्ष ने करा दिया तथा शेष भराव क्रेता स्वयं करा लेने के अधिकारी रहेंगे। अब तृतीय पक्ष क्रेता को अधिकार होगा कि वह उपरोक्त भूमि को अपनी इच्छानुसार प्रयोग में लायें, उसमें निर्माण आदि करायें। क्रेता अपना नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित कराने के अधिकारी रहेंगे। यदि इस हेतु विक्रेता की रजामन्दी प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी तो उसको समयानुसार पूर्ण करने के पाबन्द रहेंगे, कोई आपत्ति न होगी। यदि आज की तिथि से पूर्व का कोई डयूज विक्रीत भूमि पर बकाया पाया जायेगा तो उसको चुकता करने का भार हम विक्रेता के जिम्मे होगा तथा आज की तिथि के बाद समस्त डयूज एवं टैक्सेज स्वयं तृतीय पक्ष क्रेता वहन करेंगे, कोई आपत्ति न होगी। यदि अब अथवा भविष्य में विक्रीत भूमि अथवा उसका कोई अंश तृतीय पक्ष क्रेता के अधिकार, स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि से निकल जायेगा या विक्रीत भूमि पर कोई ऋण अथवा भार आदि पाया जायेगा या यह बैनामा किसी

1000 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१००० रु.

Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हज़ार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

094674

17 MAY 2005

न्यायालय से खण्डित हो जायेगा तो ऐसी प्रत्येक वैधानिक दशा में क्रेता के विक्रय मूल्य अथवा उसका कोई अंश जैसी स्थिति हो मय हर्जा व खर्चा वापिस चुकता करने का भार हम विक्रेता प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष तथा हमारे उत्तराधिकारी सहित उनकी चल व अचल सम्पत्ति समस्त प्रकार पर रहेगा। कोई आपत्ति न होगी। अतः यह विक्रय पत्र लिख दिया कि प्रमाणित हो और उचित समय पर काम आवे। इति।।

सीमायें विक्रीत भूमि :–

पूरब	:	सूर्योदय विहार कालोनी।
पश्चिम	:	भूमि विपिन कुमार।
उत्तर	:	भूमि गोपाल माहेश्वरी आदि।
दक्षिण	:	सूर्योदय विहार कालोनी।

विवरण प्राप्ति विक्रय मूल्य :–

1. अंकन 2,25,000/– के तीन किता चैक संख्या क्रमशः 576110 व 576111 व 576112 प्रत्येक दिनांक 17.05.2006 प्रत्येक मौसूमा पंजाब नेशनल बैंक, जागृति विहार, मेरठ प्राप्त किये।

2. अंकन 2,67,600/– का एक किता चैक संख्या 576113 दिनांक 17.05.2006 मौसूमा पंजाब नेशनल बैंक, जागृति विहार, मेरठ प्राप्त किये।

कुल मिजान 4,92,600/– रूपये।

अन्य विवरण :–

1. विक्रीत भूमि आवासीय है तथा आवासीय हेतु विक्रय की जा रही है ।
2. विक्रीत भूमि के स्थल के लिए जिलाधिकारी, मेरठ द्वारा निर्धारित मूल्य सूची के क्रम संख्या 73 के अनुसार सर्किल रेट 1440/–रूपये प्रति वर्ग मीटर है।
3. विक्रीत भूमि में कोई निर्माण नहीं है।
4. विक्रीत भूमि नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित है ।

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32–ए के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिन्टस।

विक्रेता का नाम व पता :– **श्रीमती सुखबीरी पत्नी स्व0 श्री हुकम सिंह निवासी ग्राम शेरगढ़ी जिला मेरठ।**

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :–

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :–

विक्रेता का नाम व पता :– **श्री मदन पाल पुत्र स्व0 श्री हुकम सिंह निवासी ग्राम शेरगढी परगना व तहसील व जिला मेरठ।**

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :–

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :–

विक्रेता का नाम व पता :– **श्री रिन्कू पुत्र स्व0 श्री हुकम सिंह निवासी ग्राम शेरगढी रगना व तहसील व जिला मेरठ।**

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :–

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :–

द्वितीय पक्ष (सहमति पक्षकार) का नाम व पता :– **श्री गोपाल माहेश्वरी** पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण निवासी 1, चाणक्यपुरी, मेरठ शहर।

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :–

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :–

क्रेता का नाम व पता :– **श्री सुधीर शर्मा** पुत्र श्री गजेन्द्र शर्मा निवासी 182 शंकर मार्केट, आबूलेन, मेरठ कैण्ट।

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :–

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :–

Sharma

तहरीर तारीख : 17.05.2006 ईस्वी मसविदा श्री राकेश कुमार वर्मा प्रालेखक, मेरठ।

Completed by

(D.K. GARG)

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश

23/5/2006

261/280 I 4904

5420